25/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/
अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20-12-19 को पेश है।

20/12/19

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) ,सीकर

गोकुलचंद बनाम राजकुमार आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र–212 मुकदमा नं0 77/2012

28.12.19	पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 212 आरटीए पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपल दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र एंव जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम शिश्यू तह दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित विवादित कृषि आराजी ख0नं0 2005 रकबा है0 ख0नं0 2006 रकबा 1.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 है0 के ब अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रार्थी के पूर्वी तरफ के हिस्स प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने,बिना बंटवारा करवाये अप्रार्थी सं कब्जा करने,कच्चा पक्का निर्माण करने,बाहमी विभाजन करके बनाई गई सीम को नष्ट करने,रहन,बय आदि के लिए पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 2 ज वकील उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही एकत अमल में लाई गई। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का कर विवादित भूमि ख0नं0 2005 एंव 2006 कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 है वादी पूर्वी तरफ के 1/3 हिस्सा पर काबिज होने के कारण उक्त भूमि विभ में दी जाकर सींव–नींव कायम करके लगान का बंटवारा कर अलग खसरा डालकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थ निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। वाद में समस्त पक्षकारों साक्ष्य/सबुत व तथ्य पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर ही दावे का अ निर्णय किया जाना है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप है वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण भी इससे सहमत है। वकील प्रार्थी की बहस/क से हम सहमत एंव संतुष्ट है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को ज अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा ~~द्वारा~~ प्र आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया ज अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात कि आराजी ख0नं0 2005 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 2006 रकबा 1.38 है0 किता 2 कुल रकबा 1.39 है0 वाके तन शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ में प्रार्थी पूर्वी तरफ के हिस्सा में,प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने,बिना बंट करवाये अप्रार्थी सं0 1 कब्जा करने,खड्डे खोदने,पेड़ काटने,कच्चा पक्का नि करने,बाहमी विभाजन करके बनाई गई सीमाओं को नष्ट करने,भूमि को वेस्ट,डे एंव एलाईनेट करने एंव रहन,बय मुंतकिल करने से मय नौकर चाकर, एए